कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्यमिक/छा.प्रो.प्र./अ-1/पी.एम्.एम.एफ-एस.सी-स्टूडेंट्स(सी.एस.एम.)/विज्ञप्ति /2016-17/ दिनांक :- 27/7/16

दिशा –निर्देश

विषय : अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृति योजना के तहत वर्ष-2016-17 के आवेदन बाबत |

उपरोक्त विषयांतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिए जाते है|

1 .आवेदन पत्र:-

आवेदन भारत सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल स्कालरशिप वेब पोर्टल NSP 2.0 वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर किया जावेगा |समस्त विधार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है |संस्था प्रधान इस कार्य में विधार्थियों का आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेंगें

2.पात्रता/शर्ते:-

i.	छात्र-छात्राए अनुसूचित जाति से संबंधित हो ।
ii.	माता-पिता/संरक्षक की आय 2.00लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो	आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावेगा तथा वार्षिक आय की गणना में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे	
iii.	अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृति नहीं ले रहे हो	
iv.	छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हो|
v.	छात्र-छात्रा अध्ययनरत कक्षा के लिए एक बार ही पात्र होगा	दूसरे वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन करने पर पात्र नहीं होगा	
vi.	यह छात्रवृति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी	
vii.	यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृति के लिए आवेदन करेंगे	
viii.	समस्त आवेदनकर्ता विधार्थियों आधार कार्ड नंबर आवश्यक होंगें साथ ही आवेदक का बैंक खाता उसके आधार नंबर से सीडेड(लिंक) होना आवश्यक है |इसके अभाव में विधार्थियों को छात्रवृति प्राप्त नहीं हो पायेगी|

3.छात्रवृति की दरें निम्नानुसार होगी:

विवरण	गैर छात्रावास	छात्रावासित
छात्रवृति दर प्रतिमाह	150	350
पुस्तके एवं एडहोक ग्रांटप्रतिवर्ष(एकमुश्त)	750	1000

(i)यह छात्रवृति 12 मई या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी| यदि किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृति अगले माह से देय होगी |

(ii)सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर निशक्त छात्र-छात्राओ कोStudent Oriented Component के अंतर्गत तीन हजार रूपये एवं निम्नानुसार अतिरिक्त भत्ते भी दिए जावेंगे |

1.	मंथली रीडर अलाऊँस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स	Rs .160-/-
2.	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाऊँस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसऐबीलिटिस	Rs .160-/-
3.	मंथली एस्कॉर्ट अलाऊँस फॉर सेवेली डिसएबल्ड	Rs .160-/-
4.	मंथली हेल्पर अलाऊँस	Rs. 160-/-
5.	मंथली कोचिंग अलाऊँस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स	Rs. 240-/-

4..सलग्न दस्तावेज़:-

www.scholarship.gov.in पर आवेदन करते समय वेबसाइट पर वांछित दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक होंगे |

5.समय सारणी :- आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रभावी होगी |

क्रम संख्या	विवरण	निर्धारित दिनांक
1	NSP पोर्टल 2.0 पर विद्यार्थी पंजीकरण एवं पूर्ण आवेदन करने की अंतिम दिनांक -	15/8/16

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि :-निम्मलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है |

1. शासन उप सचिव ,शिक्षा(ग्रुप-6)विभाग,राजस्थान सरकार –जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है |
2. आयुक्त –जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ,उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है |
3. निदेशक ,संस्कृत शिक्षा विभाग ,जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है की उपरोक्त वर्णित छात्रवृति हेतु आप अपने कार्यालय स्तर से पृथक आदेश जारी कर अपने अधीन समस्त संस्था प्रधानों को पाबंद करें
4. मुख्यालेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ,बीकानेर
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा को प्रेषित है |
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है |
7. सिस्टम एनालिसिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रति प्रेषित है |
8. प्रभारी प्रभाग – "ब" छात्रवृति एवं प्रोत्साहन अनुभाग

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर